2025/26

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी/अपीलांट	**बनाम**	**अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट**
श्री महेन्द्रसिंह गोयल निवासी नयावास नं. 02 तहसील सिरोही जिला सिरोही।		सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 08 वर्ष 2025

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
24.02.2025	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 28.12.2024 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि बुर्जुगों के लिए चुनाव में वोट देने के लिए घर की सुविधा है, लेकिन हॉस्पीटल में लाईन में लगना पडता है, ऐसी समस्या के निस्तारण बाबत एवं जीवित प्रमाण पत्र हर साल वरिष्ठ नागरिकों को देना पडता है, उसके लिए घर की व्यवस्था की जाए तथा पेंशन लेने के लिए बैंक के बाहर वरिष्ठ नागरिक को लाईन में खडा रहना पडता है, अलग से काउन्टर की व्यवस्था की जाए तथा हॉस्पीटल में भर्ती मरीज के लिए बैंक की सुविधाए पेंशनरों के लिए करने का इंतजाम करावें और यदि घर पर कोई वरिष्ठ नागरिक बीमार है तो बैंक से कर्मचारी भेजकर पेंशन देने की व्यवस्था की जावे। उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिए है। अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 28.12.2024 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि बुर्जुगों के लिए चुनाव में वोट देने के लिए घर की सुविधा है, लेकिन हॉस्पीटल में लाईन में लगना पडता है, ऐसी समस्या के निस्तारण बाबत एवं जीवित प्रमाण पत्र हर साल वरिष्ठ नागरिकों को देना पडता है, उसके लिए घर की व्यवस्था की जाए तथा पेंशन लेने के लिए बैंक के बाहर वरिष्ठ नागरिक को लाईन में खडा रहना पडता है, अलग से काउन्टर की व्यवस्था की जाए तथा हॉस्पीटल में भर्ती मरीज के लिए बैंक की सुविधाए पेंशनरों के लिए करने का इंतजाम करावें और यदि घर पर कोई वरिष्ठ नागरिक बीमार है तो बैंक से कर्मचारी भेजकर पेंशन देने की व्यवस्था की जावे। उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना के सम्ब[illegible] अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा जरिए पत्र क्रमांक/लो.सू.अ[illegible]रकड[illegible]24/24 दिनांक 03.02.2025 के द्वारा अपीलांट को सूचित कर दिया गया है। उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी अ[illegible] सिरोही के स्तर पर अब कि[illegible] प्रकार की कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अ[illegible]सी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (अल्पा चौधरी) **जिला कलक्टर, सिरोही**	

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.09.19 17:53:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner